केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त संगठन)
प्रीत विहार, दिल्ली - 110 092, भारत

संबद्धता प्रमाण - पत्र

188873

यह प्रमाणित किया जाता है कि ठाकुर रंजीत सिंह पब्लिक स्कूल अत्तरौली, मोदी नगर रोड, पिलखुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश बोर्ड की माध्यमिक (कक्षा-10) एवं वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा-12) स्तर तक की परीक्षाओं के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली से अस्थायी रूप से संबद्धता प्राप्त है तथा इस विद्यालय की संबद्धता संख्या 2131210 है।

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

अध्यक्ष
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

दिनांक : 11 नवंबर, 2014

विद्यालय की संबद्धता की वर्तमान स्थिति जानने के लिए कृपया बोर्ड की वेबसाईट : www.cbse.nic.in का अवलोकन करें।

Central Board of Secondary Education

(An Autonomous Organisation under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
PREET VIHAR, DELHI - 110 092, INDIA

CERTIFICATE OF AFFILIATION

This is to certify that THAKUR RANJEET SINGH PUBLIC SCHOOL, ATROLI, MODINAGAR ROAD, PILKHUWA, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH *is provisionally affiliated with Central Board of Secondary Education, Delhi for Secondary (Class-X) and Senior Secondary (Class-XII) Level Examinations of the Board and the Affiliation Number of the school is* 2131210.

Secretary
Central Board of Secondary Education

Chairman
Central Board of Secondary Education

Date: 11th November, 2014

For current status of affiliation of the school, please visit CBSE website : www.cbse.nic.in

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक

छा0 रंजीत सिंह पब्लिक स्कूल पिलखुवा गाजियाबाद।

पत्रांक: आशु0/ 7486-87 2007–08 दिनांक: 22/12/07

विषयः— (कक्षा 1 से 5) प्राईमरी स्कूल की स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि दिनांक 18/12/07 को जिला मान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आपके विद्यालय को प्राईमरी की स्थायी मान्यता निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:—

1. विद्यालय प्रांगण में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के अतिरिक्त अन्य कक्षायें कदापि संचालित न की जायें ।
2. विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम लागू किया जाये। अस्वीकृत पुस्तकें प्रयोग न की जायें।
3. निर्धारित शुल्क से ज्यादा कदापि न लिया जाये।
4. मान्यता विषय पत्रों में दी गयी सूचना गलत पाये जाने तथा विभागीय आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन न होने पर स्थायी मान्यता समाप्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
5. कार्यरत अध्यापकों /कर्मचारियों को विभाग द्वारा स्वीकृत वेतन तथा भत्ते निश्चित रूप से बैंक माध्यम से दिये जायें । अर्ह अध्यापकों को उनके पद पर स्थायी किया जाय तथा उन्हें प्राविधायी योजना की सुविधा दी जाय।
6. छात्र/छात्राओं के लिए पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था की जाय।
7. विद्यालय में अग्निरोधक यन्त्र लगायें।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ0 सं0— आशु0/ 2007–08 /तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र.....गाजियाबाद
सूचनार्थ प्रेषित।

2. नगर शिक्षा अधिकारी..... गाजियाबाद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

प्रेषक : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,
प्रबन्धक, ठाकुर रंवीत सिंह माध्यमिक स्कूल
सिलधुना गाजियाबाद

पत्रांक : आशु० / 983-84 / दिनांक : 9-5-03

विषय : जूनियर बेसिक स्तरीय कक्षाओं की नवीन मान्यता की स्वीकृति।

महोदय/महोदया,

दिनांक 9-5-03 ... में आयोजित जिला मान्यता समिति की बैठक में आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर की मान्यता में विशेष परिस्थिति में मुख्यतः छात्रों के हित को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भिक रूप से 1-7-2002 से 30-6-07 तक तक प्रतिबन्धात्मक रूप से अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है। यह अनुपालन आख्या 30-6-07 तक निश्चित रूप से प्रतिबन्धों की पूर्ति के उपरान्त भेजा जाना सुनिश्चित करें। मान्यता अवधि समाप्त होने के पश्चात् सभी प्रतिबन्धों की पूर्ति करने हुये नई मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा। पुनः अस्थाई मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी।

1. पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत समिति के पंजीकरण का नवीनीकरण सुनिश्चित किया जाये।
2. अभीष्ट धनराशि सुरक्षित कोष में विनियोजित कर उसे निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पदनाम से परिचालित किया जाये।
3. विद्यालय के नाम निजी भवन हो जिसका पंजीकरण विद्यालय निबंधन के नाम से हो इस भवन में निर्धारित मान के हवादार व प्रकाश युक्त कक्ष निर्मित हों। निर्मित कक्षों के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक व भण्डार कक्ष की व्यवस्था हो।
4. विभागीय आदेशानुसार कम से कम दो हजार वर्गमीटर का निजी क्रीड़ा स्थल हो जो विद्यालय के नाम पंजीकृत हो व छात्रों के खेलने के लिए सुलभ हो।
5. अध्यापक/कर्मचारियों की सेवा शर्तों में उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती व सेवा शर्तें) प्रथम संशोधन नियमावली का पालन किया जाये।
6. नियमानुसार सभी अध्यापक प्रशिक्षित हों निम्नहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही उसे सेवा से हटाया जाय। अप्रशिक्षित की नियुक्ति कदापि न की जाये।
7. अध्यापक/कर्मचारियों को बेसिक शिक्षा परिषद में नियुक्ति शिक्षक/कर्मचारियों की भांति ही वेतन दी जाय व अन्य भत्ते जो-समय समय पर देय हों दिये जायें।
8. विभाग द्वारा निर्धारित 15-00 (पन्द्रह रु० मात्र) मासिक प्रति छात्र से अधिक शुल्क कदापि न लिया जाये। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का दान चन्दा व कोई अन्य शुल्क कदापि न लिया जाय। प्राप्त धनराशि को विभिन्न रसीद दी जाये।
9. प्राइमरी कक्षाओं के साथ अपर कक्षाओं का संचालन कदापि न किया जाये।
10. आवश्यकतानुसार विज्ञान क्रीड़ा, शिक्षण एवं समाज उपयोगी सामग्री व पुस्तकों की व्यवस्था की जाये।
11. निम्नहस्ताक्षरकर्ता की कार्यालय के अनुमति के बिना न कोई अनुभाग बढ़ाया, न ही समाप्त किया जाये।
12. केवल विभाग द्वारा मान्य पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ाई जायें।
13. विभागीय नियमों का निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद

पृष्ठ संख्या : आशु० / / तद् दिनांकित।
प्रतिलिपि उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद / हापुड़ / सिलधुना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद